# आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,उत्तराखण्ड देहरादून
## आऊटकम बजट 2013–14
## अनुक्रमणिका


| क्रमांक | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | निदेशाालय के ढांचे का स्वरूप | 1 |
| 1 | भाग–1 विभागीय क्रियाकलापो की संक्षिप्त टिप्पणी | 2–3 |
| 2 | विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रमों की सूची | 4–7 |
| 3 | भाग–2 विभाग द्वारा प्रस्तावित वर्ष 2013–14 की प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में सूचना | 08–10 |
| 4 | भाग–3 विभाग में किये गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल | 11 |
| 5 | भाग–4 गत वर्ष 2012–13 की परफारमेन्स समीक्षा | 12–14 |
| 6 | वित्तीय समीक्षा योजनावार प्राविधान तथा व्यय | 15 |
| 8 | चिकित्सालयों में उपचारित रोगियों का विवरण | 16 |

## *भाग–1*
## *विभागीय कार्यकलापों की संक्षिप्त टिप्पणी*

### ➢ *विभाग द्वारा संचालित योजनायें/ कार्यक्रमों की सूची तथा तदविषयक लक्ष्य एवं नीतियों*

***परम उद्देश्य (Vision) आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाओं के माध्यम से सबके लिए स्वास्थ्य***

- विभाग के अन्तर्गत कुल 547 चिकित्सालय (542 राजकीय आयुर्वेदिक एवं 05 यूनानी) संचालित है इसके अतिरिक्त 206 एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सको के पद सृजित है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन(एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत 29 सामुदायिक एवं 154 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर आयुष विंग संचालित हैं।
- प्रदेश में 05 आयुर्वेदिक कालेज जिसमें से 02 राजकीय एवं 03 निजी क्षेत्र में संचालित है, साथ ही पैरामेडिकल प्रशिक्षण हेतु निजी क्षेत्र में 04 आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है।

**राज्य में विद्यमान चिकित्सा सुविधायें:–**

| क्रम | विवरण | उत्तरकाशी | चमोली | टिहरी | देहरादून | पौड़ी | रूद्रप्रयाग | हरिद्वार | पिथौरागढ | अल्मोड़ा | नैनीताल | उधम सिंह नगर | चम्पावत | बागेश्वर | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय/ औषधालय की | 48 | 56 | 65 | 49 | 55 | 30 | 20 | 56 | 50 | 34 | 18 | 19 | 15 | **515** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | आयोजनागत पक्ष में संचालित चिकित्सालय | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | **27** |
| 3 | राजकीय यूनानी चिकित्सालय/औषधालय की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **5** |
| 4 | राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयो में आयष विंग | 17 | 21 | 18 | 18 | 27 | 12 | 0 | 24 | 18 | 13 | 0 | 2 | 10 | **180** |
| 5 | जिला चिकित्सालयों में आयुष विंग महिला/पुरूष | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **26** |
| 6 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो में आयुष विंग (NRHM) | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | **29** |
| 7 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर आयुष विंग(NRHM) | 6 | 7 | 18 | 13 | 23 | 6 | 12 | 13 | 22 | 12 | 10 | 5 | 7 | **154** |
| | एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सक(पी0एम0एस0 संवर्ग के विरूद्ध) | 14 | 9 | 18 | 2 | 17 | 20 | 0 | 16 | 41 | 2 | 0 | 1 | 22 | **162** |
| | योग | **90** | **100** | **127** | **92** | **132** | **72** | **42** | **114** | **135** | **67** | **36** | **31** | **60** | **1098** |
| 8 | सरकारी भवनों में कार्यरत | 21 | 11 | 36 | 15 | 21 | 11 | 10 | 14 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | **166** |
| 9 | किराये के भवनों में कार्यरत | 24 | 41 | 29 | 26 | 25 | 17 | 7 | 42 | 39 | 20 | 11 | 15 | 5 | **301** |
| 10 | चिकित्साधिकारी के स्वीकृत पद | 71 | 81 | 90 | 70 | 88 | 46 | 32 | 83 | 70 | 50 | 23 | 25 | 29 | **758** |
| 11 | चिकित्साधिकारी कार्यरत पद | 41 | 34 | 59 | 63 | 48 | 13 | 30 | 52 | 40 | 37 | 18 | 15 | 4 | **454** |
| 12 | पैरामेडिकल कर्मचारी के स्वीकृत पद | 60 | 63 | 81 | 68 | 55 | 37 | 105 | 64 | 60 | 40 | 26 | 25 | 21 | **705** |
| 13 | पैरामेडिकल कार्यरत पद | 26 | 50 | 53 | 38 | 38 | 31 | 57 | 13 | 14 | 10 | 7 | 2 | 5 | **344** |
| 14 | चिकित्सालय में उपलब्ध शैयाए | 197 | 212 | 147 | 140 | 191 | 92 | 426 | 204 | 176 | 104 | 56 | 64 | 40 | **2049** |

# *विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनायें/कार्यक्रम*

## वित्तीय वर्ष 2012–13 की प्रगति का विवरण

- भवन विहिन चिकित्सालयों में वित्तीय वर्ष 2012–13 में 350.00 लाख की धनराशि आवासीय/अनावासीय भवनो के निर्माण हेतु एवं निर्माणाधीन भवनो के निर्माण हेतु 350 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
- एस0सी0एस0पी0 योजनाओं के अन्तर्गत भवनो के निर्माण/निर्माणाधीन कार्यो हेतु रू0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत 11.28 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

आयोजनागत पक्ष में बजट की स्थिति

**1. आयोजनागत पक्ष में बजट की स्थितिः–** (धनराशि लाख में)

| वर्ष | राज्य सरकार | | |
|---|---|---|---|
| | परिव्यय | बजट प्राविधान | अवमुक्त |
| 2012–13 | 3360.27 | 1655.63 | 1526.39 |

**आयोजनेत्तर पक्ष में बजट की स्थितिः–** (धनराशि लाख में)

| बजट प्राविधान | जारी स्वीकृति | व्यय |
|---|---|---|
| 9107.29 | 9105.28 | 8424.42 |

- राजकीय आयुर्वेदिक कालेजो में सी0सी0आई0एम0 मानको के अनुसार भवनो के निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु 50 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान है।

- राज्य में जनमानस को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से 458 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सको को लोक सेवा आयोग से चयनित किया गया जिनकी नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।
- 37 आयुर्वेदिक फार्मेसिस्टो की नियुक्ति की गयी।
- ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज,हरिद्वार में 04 नये विषयों में स्नातकोत्तर पाठयक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु आयुष विभाग भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर शैक्षणिक वर्ष 2012–13 में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

**वित्तीय वर्ष 2013–14 की कार्य योजना :–**

- राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों/एलोपैथिक चिकित्सालयों में संचालित आयुष विंग हेतु 930.00 लाख के प्रस्वाव स्वीकृति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 की वार्षिक योजना हेतु 3380.01 लाख का परिव्यय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया है।
- केन्द्रीय योजनान्तर्गत राजकीय एलौपैथिक चिकित्सालयों में आयुष विंग की स्थापना हेतु एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत प्रस्तावित की जायेगी।
- राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनो को द्वष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों/आयुष विंग हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक मद में अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है। जिससे राज्य में आयुष की चिकित्सा पद्यति के माध्यम से जन सामान्य को अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकें

**वित्तीय वर्ष 2013–14 की महत्वपूर्ण योजनायें**

- आगामी वित्तीय वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सा विहिन क्षेत्रों में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति की सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु 20 चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में 05 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
- भवन विहिन चिकित्सालयों में आगामी योजनान्तर्गत आवासीय/अनावासीय भवनो के निर्माण हेतु रू0 500 लाख एवं निर्माणाधीन भवनो के निर्माण हेतु 600 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- एस0सी0एस0पी0 योजनाओं के अन्तर्गत चिकित्सालय भवनो के निर्माण/निर्माणाधीन कार्यो हेतु रू0 108.00 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- जनजातिय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत चिकित्सालय भवनों के निर्माण हेतु 52.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।
- निदेशन एवं प्रशासन के अन्तर्गत पदो के सृजन हेतु रू0 5.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।
- एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत रू0 50.00 लाख की धनराशि चिकित्सालय भवनो के निर्माण हेतु प्रस्तावित की गयी है।
- प्रदेश के पर्वतीय जनपदो में आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना प्रस्तावित की गयी है।
- जनपद हरिद्वार के भगवानपुर में यूनानी कालेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रदेश में प्रत्येक जनपद में आयुष ग्राम की स्थापना हेतु रू0 10.00 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया हे।
- राजकीय आयुर्वेदिक कालेजो में निर्माण कार्यो के लिए रू0 150.00 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- राजकीय आयुर्वेदिक कालेजो में 05 अन्य नये विषयो में स्नातकोत्तर पाठयक्रम प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- केन्द्रीय योजनान्तर्गत 50 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के उच्चीकरण किये जाने हेतु योजना प्रस्तावित की गयी है।
- केन्द्रीय योजनान्तर्गत तहसील एवं ब्लाक स्तर पर 20 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के उच्चीकरण की योजना प्रस्तावित है।
- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सको एवं पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण की योजना एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

- जनपद देहरादून के विश्वविद्यालय परिसर में केन्द्रीय योजनान्तर्गत 50 शैय्यायुक्त चिकित्सालय की स्थापना हेतु निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

| भाग–2 | *विभाग द्वारा प्रस्तावित वर्ष 2013–14 की प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में सूचना* |
|---|---|

## आउटकम बजट वित्तीय वर्ष 2013–14 (₹ हजार में )

| योजना का नाम | योजना का उददेश्य | आउट ले | | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम | समय सीमा | अभ्युक्ति/रिस्क फैक्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नान प्लान | प्लान | | | | |
| निदेशन एवं प्रशासन | विभाग में मानव संसाधन की समुचित व्यवस्था किया जाना विभाग के विभिन्न कार्यो हेतु नीति निर्धारण। विभा की पंचवर्षीय/वार्षिक योजना तैयारा कराना तथा एन0आर0एच0 एम0 के अन्तर्गत राज्य कार्य योजना तैयार कराकर भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। | **75660** | **0.00** | आवश्यकतानुसार पदो का सृजन मेडिकल एवं पेरामेडिकल के रिक्त पदों पर पदोन्नति/नियुक्ति चिकित्सालयों एवं कालेजो हेतु नये उपकरणो का क्रय तथा दर अनुबन्ध जारी करना | मेडिकल एवं पैरामेडिकल पदो पर नियुक्ति /पदोन्नति से चिकित्सालयों में मानव संसाधन की कमी दूर होगी जिससे दूरस्थ क्षेत्रो में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हो सकेगी। | 2013–14 | लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया जायेगा। लोक सेवा आयोग से देरी होने पर नियुक्ति से देरी हो सकती है। |
| राजकीय आयर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना | जन सामान्य को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु चिकित्सालयों का उच्चीकरण | **993351** | **62085** | दूरस्थ एवं अति पिछडे क्षेत्रों में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सालयों की स्थापना। | दूरस्थ एवं अति पिछडे क्षेत्रों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति से जन स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का विकास करना | 2013–14 | चिकित्सको की अनुपलब्धता पर योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई |
| राज्य औषधि निर्माणशाला एवं परीक्षण प्रयोगशाला | प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को उच्च गुणवत्ता युक्त औषधियों की उपलब्धता एवं राज्य में संचालित औषधि निर्माणशालाओंऔषधि गुणवत्ता | **26775** | **0** | प्रदेश के 546 राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों हेतु | उक्त योजना से जनमानस को उच्च गुणवत्ता युक्त औषधियां प्रदान कर उनके स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का | रोगियों की आवश्यक तानुसार योजना | मानव संसाधन के अभाव में योजना प्रभावित होगी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नियन्त्रण | | | उच्च गुणवत्तायुक्त सस्ती औषधियों की उपलब्धता एवं नीजि क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की औषधि निर्माणशालाओं पर औषधि गुणवत्ता नियन्त्रण की कार्यवाही | विकास | क्रियान्वित रहेगी | |
| राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के आवासीय/अनावासीय भवनो का निर्माण | राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के उच्चीकृत चिकित्सालयों एवं किराये के भवनो के चिकित्सालयों में आवासीय/अनावासीय भवनो का निर्माण | **0** | **120000** | प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं के सुदढीकरण में सहायक होगी | जन सामान्य को आयुर्वेद एवं यूनानी विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी रोगियों को अन्तरंग विभाग की सुविधाओं के साथ ही आपातकालीन स्थिति में चिकित्सको की उपलब्धता भी सुनिश्चित रहेगी | 2014–15 | धनराशि एवं भूमि की अनुपलब्धता होने से उक्त योजना प्रभावित होगी |
| आयुष ग्राम की स्थापना | आयुष की पांचो पद्धतियों के माध्यम से एक ही स्थल पर उपचार,पर्यटन को बढावा,रोजगार सृजन,राजस्व वृद्धि आयुष पद्धति का प्रचार प्रसार | **0.00** | **1000** | आयुष की विशिष्ट चिकित्सा पद्धति के संरक्षण संवर्धन का केन्द्र विकसित किया जा सकेगा तथा दुर्लभ जडी बूटियों का संरक्षण कर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिकरण को बढावा दिया जायेगा | उक्त योजना के संचालन से प्रदेश के बेरोजगारो को रोजगार के अवसर के साथ–साथ कृषको को जडी बूटी के उत्पादन से आर्थिक स्थिति सुदढ होगी तथा प्रदेश में राजस्व की वृद्धि होने से विकास को गति मिलेगी | 2014-15 | उक्त क्षेत्र में निवेश करने वाली इकाईयों की अनुपलब्धता एवं भूमि आदि के चिन्हिकरण में आने वाली कठिनाई |
| राजकीय आयुर्वेदिक कालेजो का सुदढीकरण | आयुर्वेदिक छात्रों को स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रय की शिक्षा उपलब्ध कराया जाना | **170840** | **7744** | प्रदेश को आयुर्वेद के क्षेत्र में योग्य चिकित्सक एवं विषय विशेषज्ञ | प्रति वर्ष प्रदेश में 110 आयुर्वेदिक स्नातक एवं 17 स्नातकोत्तर विषय विशेषज्ञ तैयार कर जन सामान्य | निरन्तर | संसाधनो के अभाव एवं शिक्षको की अनुपलब्धता के साथ ही सी0सी0आई0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | चिकित्सको की उपलब्धता सुनिश्चित करना | की चिकित्सा हेतु उपलब्धता सुनिश्चित करना | | एम0 के मानको के पूर्ण न होने पर मान्यता प्रभावित हो सकती है |
| राजकीय आयुर्वेदिक कालेजो में निर्माण कार्य | केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली के मानको के अनुसार भवनो का निर्माण कार्य | **0.00** | **6000** | पाठयक्रमो के सफल संचालन हेतु अवस्थापना विकास में वृद्धि | निर्मित भवनो से जन सामान्य के लिए चिकित्सा सुविधायें एवं छात्रों के पठन पाठन हेतु विभागवार विषय वार शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराया जाना | 2014-15 | धनराशि की अनुपलब्धता के कारण योजना प्रभावित हो सकती है |
| चरेक डाण्डा में अर्न्तराष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना | आयुर्वेद की विशिष्ट चिकित्सा हेतु आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध कार्यो के साथ–साथ जडी बूटियों का संवर्धन/सरंक्षण | **0.00** | **01** | हिमालयीय राज्य में विलुप्त एवं दुर्लभ औषधियों का चिन्हिकरण तथा उन औषधियों पर शोध कार्यो के द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग | प्रदेश में आयुर्वेद के क्षेत्र में नई खोज के साथ ही रोजगार के सृजन एवं जडी बूटियों के सरंक्षण किया जा सकेगी। | 2015-16 | वित्तीय संसाधनो के अभाव एवं योग्य विशेषज्ञो के अभाव के कारण योजना प्रभावित हो सकती है। |
| | योग | **779244** | **206580** | | | | |

## 3. विभाग में किये गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल(Initiatives)

प्रत्येक जनपद में कार्यो की अनुश्रवण हेतु निदेशालय में कार्यरत समस्त संयुक्त निदेशको को मण्डलीय/जनपदीय प्रभारी नियुक्त किया गया है जिसमें उनके द्वारा विभाग में किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रतिमाह समीक्षा बैठक निदेशक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठके आयोजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। चिकित्सालयों में चिकित्सको की उपस्थिति आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये जा रहे हे।

# योजनावार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति का विवरण(वर्ष 2012–13) (लाख में)

| योजना का नाम | उददेश्य | आऊटले | | आऊटपुट | आऊटपुट के सापेक्ष उपलब्धि | आऊटकम | आऊटकम के सापेक्ष उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्लान | नान प्लान | | | | |
| निदेशन एवं प्रशासन | विभाग में मानव संसाधन की समुचित व्यवस्था किया जाना विभाग के विभिन्न कार्यो हेतु नीति निर्धारण। विभा की पंचवर्षीय/वार्षिक योजना तैयारा कराना तथा एन0आर0एच0 एम0 के अन्तर्गत राज्य कार्य योजना तैयार कराकर भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। | 0.00 | 616.50 | आवश्यकतानुसार पदो का सृजन मेडिकल एवं पेरामेडिकल के रिक्त पदों पर पदोन्नति/नियुक्ति चिकित्सालयों एवं कालेजो हेतु औषधियों आदि का क्रय तथा दर अनुबन्ध जारी करना | | राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में बाहय रोगियों तथा भर्ती मरीजो तथा शैयया उपयोगिता दर में वृद्धि | रिक्तियों की संख्या में कमी चिकित्सक एवं रोगी अनुपात में सुधार हुआ चिकित्सालयों को उपकरण/फर्नीचर से सुसज्जित किया गया। |
| राजकीय आयर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना | जन सामान्य को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना | 202.33 | 6800.51 | दूरस्थ एवं अति पिछडे क्षेत्रों में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी गयी | वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल रोगियों की चिकित्सा की गयी | आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जन सामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना | वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल रोगियों की चिकित्सा की गयी |
| राज्य औषधि निर्माणशाला | प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता युक्त औषधियों की उपलब्धता | 0.00 | 196.60 | प्रदेश के 543 राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त सस्ती औषधियों की उपलब्धता | वित्तीय वर्ष 2012–13 में राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला हरिद्वार को 40.00 लाख की | वित्तीय वर्ष 2012–13 में 40 लाख की धनराशि से औषधियों का क्रय किया गया | वित्तीय वर्ष 2012–13 में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों को 171 लाख की औषधि का निर्माण कराकर |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | धनराशि औषधि निर्माण हेतु अवमुक्त की गयी | | चिकित्सालयों हेतु वितरित की गयी |
| राज्य औषधि निर्माणशाला एवं परीक्षण प्रयोगशाला | प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता युक्त औषधियों की उपलब्धता हेतु औषधि गुणवत्ता नियन्त्रण | 0.00 | 23.23 | प्रदेश के नीजि क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की औषधि निर्माणशालाओं पर औषधि गुणवत्ता नियन्त्रण की कार्यवाही | औषधि निर्माणशालाओ के औषधि नियन्त्रण हेतु निरीक्षण की कार्यवाही की गयी | | वित्तीय वर्ष 2012–13 में सार्वजनिक एवं नीजि क्षेत्र में स्थापित औषधि निर्माणशालाओं के कुल 15 औषधि नमूनो तथा 45 नमूने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित औषधि निर्माणशाला के जांच किये गये |
| राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के आवासीय/ अनावासीय भवनो का निर्माण | राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के उच्चीकृत चिकित्सालयों एवं किराये के भवनो के चिकित्सालयों में आवासीय/अनावासीय भवनो का निर्माण | 790.00 | 0.00 | प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं के सुदढीकरण में सहायक होगी | 17 राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के भवनो का नव निर्माण कार्य सम्पादित किया गया तथा 21राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के निर्माणाधीन भवनो हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी | रोगियो की चिकित्सा सुविधा में वृद्धि हुई | आयुर्वेद की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा जन सामान्य को उपलब्ध करायी गयी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आयुष ग्राम की स्थापना | आयुष की पांचो पद्धतियों के माध्यम से एक ही स्थल पर उपचार,पर्यटन को बढावा,रोजगार सृजन,राजस्व वृद्धि आयुष पद्धति का प्रचार प्रसार | 10.00 | 0.00 | आयुष की विशिष्ट चिकित्सा पद्धति के संरक्षण संवर्धन का केन्द्र विकसित किया जा सकेगा तथा दुर्लभ जडी बूटियों का संरक्षण कर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिकरण को बढावा दिया जायेगा | जनपद चम्पावत में कोलीढेक एवं बागेश्वर में भूमि विभाग के नाम हस्तानान्तरित की गयी। | योजना प्रगति पर है। | ₹2.50 करोड के राजस्व की प्राप्ति |
| राजकीय आयुर्वेदिक कालेजो का सुदढीकरण | आयुर्वेदिक छात्रों को स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रय की शिक्षा उपलब्ध कराया जाना | 56.85 | 6800.51 | प्रदेश को आयुर्वेद के क्षेत्र में योग्य चिकित्सक एवं विषय विशेषज्ञ चिकित्सको की उपलब्धता सुनिश्चित करना | सी0सी0आई0एम 0 मानको के अनुरूप शिक्षको की संविदा एवं लोक सेवा आयोग से तैनाती | स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था | 110 स्नातक एवं 17 स्नातकोत्तर छात्रो को प्रशिक्षण एवं 20 उपचारिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया |
| राजकीय आयुर्वेदिक कालेजो में निर्माण कार्य | केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली के मानको के अनुसार भवनो का निर्माण कार्य | 50.00 | 0.00 | पाठयक्रमो के सफल संचालन हेतु अवस्थापना विकास में वृद्धि | सी0सी0आई0एम 0 मानको के अनुरूप भवनो का निर्माण | प्रशिक्षणार्थीयों के लिए विभागो के निर्माण की कार्यवाही सम्पादित की गयी तथा कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय का विस्तार | जिससे 550 छात्रो एवं 50 स्नातकोत्तर छात्रो के साथ ही 40 नर्सेज उपचारिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। |

# विगत वर्षो का विभागीय बजट (लाख में)

| क्रम | योजना का नाम | अनुमोदित परिव्यय | बजट प्राविधान | जारी स्वीकृति | व्यय | स्वीकृति के सापेक्ष प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **वित्तीय वर्ष 2009–10** | | | | |
| अ | जिला योजना | 776.16 | 726.92 | 663.28 | 660.36 | 99.56% |
| ब | राज्य योजना | 317.07 | 319.80 | 294.16 | 234.09 | 79.58% |
| स | केन्द्र सहायतित | 0.00 | 34.71 | 5.30 | 5.30 | 100.00% |
| | **योग** | **1093.23** | **1081.43** | **962.74** | **899.75** | |
| | | **वित्तीय वर्ष 2010–11** | | | | |
| अ | जिला योजना | 943.36 | 920.77 | 857.03 | 697.03 | 81.33% |
| ब | राज्य योजना | 366.17 | 509.46 | 268.85 | 213.13 | 79.27% |
| स | केन्द्र सहायतित | 0.00 | 68.90 | 16.85 | 16.85 | 100% |
| | **योग** | **1309.53** | **1499.13** | **1142.73** | **927.01** | **81.12%** |
| | | **वित्तीय वर्ष 2011–12** | | | | |
| | जिला योजना | 1426.53 | 770.00 | 741.28 | 871.27 | 117.54% |
| | राज्य योजना | 1423.74 | 784.21 | 317.13 | 268.96 | 84.81% |
| | केन्द्र सहायतित | 510.00 | 101.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | **योग** | **3360.27** | **1655.63** | **1058.41** | **1140.23** | **107.73%** |